न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर जिला ग्वालियर म0प्र0

निगरानी प्रकरण कमांक............/2015

158

निगरानी — 2651-II/15

कु0 सीमा गुप्ता पुत्री श्री सुरेश कुमार गुप्ता उम्र 30 वर्ष निवासी टिकुरिया टोला सतना तह0 रघु0 जिला सतना म0प्र0........निगराकार

बनाम

1— आम जनता हरिजन वास्ती टिकुरिया टोलो पटवारी हल्का न0. 78 डेलौरा द्वारा सुनील गुप्ता पिता स्व0 दुलीचन्द्र गुप्ता उम्र 40 वर्ष निवासी वार्ड न0 45हरिजन वास्ती सादन स्कूल के पीछे डाली बाबा रोड सतना जिला सतना म0प्र0........................आवेदक/गैरनिगराकार

2— सुरेश कुमार गुप्ता पिता स्व0 दुलीचन्द्र गुप्ता उम्र 52 वर्ष पेशा व्यवसाय निवासी टिकुरिया टोला सिन्धी मंदिर के पीछे सतना तहसील रघुराजनगर जिला सतना म0प्र0.....अनावेदक/गैरनिगराकार

श्री मुकेश भार्गव अभि. द्वारा आज दि. 17-8-15 को प्रस्तुत

17-8-15
वाचक राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी विरूद्व आदेश दिनांक 04/08/2015 प्रकरण क0 564/2014—15 न्यायालय अपर कमिश्नर रीवा संभाग रीवा म0प्र0।

अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0संहिता

मुकेश भार्गव
17-8-15 एडवोकेट
ग्वालियर

मान्यवर,

निगराकार निम्नानुसार निगरानी प्रस्तुत कर विनयी हैः—

निगरानी के संक्षिप्त तथ्यः—

1— यह कि निगराकार के सगे चाचा के द्वारा घरू पारिवारिक विवाद को लेकर निगराकार के पिता के विरूद्व आम जनता हरिजन बस्ती टिकुरिया टोला को सम्बोधित करते हुए एक आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 248 म0प्र0भू0रा0संहिता के तहत् मौजा डेलौरा तहसील रघुराजनगर जिला सतना म0प्र0 की आराजी नं0 195/2 के अंश रकवा 20X20=400 वर्गफिट के संबंध मे बेदखल किये जाने के संबंध मे शिकायती आवेदन पत्र प्रस्तुत किये और उक्त शिकायती आवेदन पत्र के आधार पर संबंधित तहसीलदार तहसील रघुराजनगर जिला सतना के न्यायालय से निगराकार के पिता को धारा 248 म0प्र0 भू0रा0संहिता के तहत् बेदखली एवं जुर्माना की

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 2651–दो/2009 जिला–सतना

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26–07–16	आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव उपस्थित। अनावेदक की ओर से अभिभाषक श्री लाखन सिंह धाकड़ उपस्थित । 2/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा वही तर्क दोहराये गये है जो निगरानी मेमों में है । अतः उसे दुबारा दोहराने की आवश्यकता नहीं है । 3/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्र0 564/निग0/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 04.08.2015 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959(आगे जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। 4/ मेरे द्वारा उभयपक्ष अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया, जिसमें पाया गया कि आवेदिका सीमा गुप्ता के सगे चाचा के द्वारा घरू विवाद को लेकर आवेदिका के पिता के विरूद्ध आम जनता हरिजन बस्ती टिकुरिया टोला को सम्बोधित करते हुये एक आवेदन पत्र म0प्र0भू–राजस्व संहिता की धारा 248 के तहत मौजा डेलौरा तहसील रघुराजनगर, जिला–सतना की आराजी नं0 195/2 के अंश रकबा 20X20= 400 वर्गफिट के संबंध में बेदखल किये और	

उक्त शिकायती आवेदन–पत्र के आधार पर संबंधित तहसीलदार तहसील रघुराजनगर, जिला–सतना के न्यायालय से आवेदिका के पिता को संहिता की धारा 248 के तहत बेदखली एवं जुर्माना का नोटिस भेजा गया । जिसमें आवेदक के पिता तहसीलदार, तहसील रघुराजनगर, जिला–सतना के समक्ष उपस्थित होकर अपना जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त आराजी नं0 195/2 शासन की आराजी बस्ती से लगी हुई आराजी है, जिसमें पचासों व्यक्तियों के मकान बने हुये है, उक्त आराजी में किसी प्रकार का कोई निस्तार आवागमन हेतु अथवा अन्य निस्तार हेतु नहीं है । अतः धारा 248 समाप्त किया जावे । तहसीलदार रघुराजनगर द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन कर अन्य व्यक्ति के विरूद्ध कोई कानूनी कार्यवाही न कर मात्र अनावेदक क्र0 2 सुरेश गुप्ता के खिलाफ जुर्माना एवं बेदखली का आदेश दिनांक 10.10.2014 पारित किया गया । इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर के समक्ष अनावेदक सुरेश गुप्ता द्वारा अपील प्रस्तुत की गई जो निरस्त की गई । इससे दुखित होकर अनावेदक सुरेश गुप्ता द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई जो आज भी विचाराधीन है । चूंकि विवादित मकान आवेदिका का होने की वजह से आवेदिका ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उसे पक्षकार बनाने संबंधित आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया था जो अधीनस्थ न्यायालय में निरस्त हुआ। इसी आदेश के विरूद्ध आवेदिका ने इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की है ।